सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
न्यू-कॉपरेटिव बिल्डिंग
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा
राँची - 834 002
☎0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:-jepc.nic.in

अंजनी कुमार, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांक जे.ई.पी.सी/एस.पी.डी/ 966

दिनांक 6.8.05

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

विषय: **कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं संचालन ।**

महाशया/महाशय,

शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े प्रखण्डों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं अतिरिक्त समर्थन देने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में उपलब्ध कराई गई है । उपर्युक्त योजना के सुविचारित कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदेश निम्नवत है:-

1. कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी ।
2. शिक्षिकाओं के स्वीकृत पद:- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के 4 पद होंगे जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	विषय/विषय समूह	स्वीकृत पद
(i)	भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी)	1
(ii)	गणित	1
(iii)	विज्ञान	1
(iv)	सामाजिक विज्ञान	1
कुल		4

3. शिक्षिकाओं का चयन एवं परिलब्धि

क) शिक्षिकाओं की नियुक्ति संविदा पर की जाएगी और उन्हें नियत परिलब्धि रुपये 8000/- प्रति माह देय होगी ।
संविदा विस्तार की स्थिति में प्रत्येक वर्ष रुपये 250/- की दर से वृद्धि देय होगी।

ख) अहर्त्ता- शिक्षिका पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी किन्तु उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण की योगताएँ को प्राथमिकता दी जाएगी । चयन में स्थानीयता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाएगा किन्तु वह चयन का मूल आधार नही होगा ।

D:\J.E.P.C\AJAY\Ajay\Letter Head Sir Hindi.doc

ग) शिक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी । प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा । चयन समिति यह ध्यान में रखेगी की जब तक कोई विशिष्ट कारण नहीं हो तब तक सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यार्थियों का हीं चयन किया जाएगा ।

घ) जिला आरक्षण के आधार पर आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा ।

च) चयन समिति – राज्य कार्यकारिणी की 9वीं बैठक दिनांक 14.02.2003 (राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक जे.ई.पी.सी./385 दिनांक 08.03.2003 द्वारा जिलों को प्रेषित) में जिला स्तरीय पदों के विरुद्ध चयन हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित है । उपायुक्त के अतिरिक्त इसके सदस्य निम्नवत है:-

i. जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
ii. राज्य परियोजना निदेशक के एक प्रतिनिधि (जिला शिक्षा पदाधिकारी),
iii. अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी द्वारा जिला कार्यकारिणी के सदस्यों में से मनोनीत एक प्रतिनिधि,
iv. अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत आरक्षित वर्ग के एक राजपत्रित पदाधिकारी एवं
v. अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ-सदस्य ।

उपर्युक्त समिति कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के शिक्षिकाओं का चयन करेगी ।

4. वार्डेन-सह-शिक्षिका की नियुक्ति-

क) विद्यालय विशेष हेतु चयनित शिक्षिकाओं में से वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाली शिक्षिका अपने शिक्षण कार्य के अतिरिक्त वार्डेन का दायित्व भी संभालेंगी ।

ख) विद्यालय स्तरीय क्रिया-कलापों की स्वीकृति की शक्ति वार्डेन में निहित होगी और वे विद्यालय के प्रशासी प्रमुख भी होंगे ।

5. शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति-

क) शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी । स्वीकृत पद का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	विवरण	स्वीकृत पद
1	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
2	रसोईया	1
3	चौकीदार	1
कुल		3

ख) उपर्युक्त पदों के लिए न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ता का निर्धारण उपायुक्त/जिला स्तरीय चयन समिति कर सकेगी ।

ग) शिक्षकेतर कर्मचारियों के मामले में भी जिला आरक्षण के आधार पर आरक्षण नियम लागू होगा ।

घ) परिलब्धि- शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियत परिलब्धि देय होगी । लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियत परिलब्धि रुपये 6000/- प्रति माह तथा रसोईया एवं चौकीदार की नियत परिलब्धि रुपये 4000/- प्रति माह होगी । संविदा विस्तार की स्थिति में प्रत्येक वर्ष रुपये 150/- की दर से नियत वृद्धि देय होगी ।

6. शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की संविदा का विस्तार एवं समाप्ति- शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मियों की संविदा अवधि का विस्तार या संविदा की समाप्ति पर चयन समिति आवश्यक निर्णय ले सकेगी ।

7. पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तक:- सरकारी विद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तक के आधार पर पठन-पाठन एवं बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जायगा ।

8. विद्यालय प्रबंधन-

क) स्थानीय स्तर पर विद्यालयी व्यवस्था के देख-रेख हेतु एक 11 सदस्यीय 'विद्यालय समिति' होगी जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे :-

i. अभिभावक सदस्य - 3 (जिनमें 1 महिला, 1 अनुसूचित जनजाति एवं 1 अनुसूचित जाति से होंगे)
ii. सरकारी विद्यालय के ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष - 2
iii. विद्यार्थी सदस्य - 2 (वर्ग 7 एवं 8 की मॉनिटर)
iv. शिक्षक सदस्य - 1
v. प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी
vi. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
vii. वार्डेन-सह-शिक्षिका - सदस्य-सचिव

ख) विद्यालय समिति के अध्यक्ष अनिवार्यतः अभिभावक सदस्यों में से होंगे । समिति के सदस्यगण अभिभावक सदस्यों में से किन्हीं एक का अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे । अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा । चक्रानुक्रम से अभिभावक सदस्य अध्यक्ष के पद पर एक वर्ष के लिए मनोनीत किए जाएंगे ।

ग) प्रत्येक तीन वर्ष पर 'विद्यालय-समिति' का गठन किया जाएगा । समिति गठन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी करेंगे । सभी अभिभावक, शिक्षक एवं वार्डेन आम-सभा के सदस्य होंगे । वार्डेन एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आपसी सहमति से अन्य व्यक्ति/पदाधिकारियों को आम सभा की बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे ।

9. बालिकाओं का चयन

क) कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु बालिकाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षित सीट का बंटवारा विभिन्न कोटियों के बीच निम्नवत् रुप में किया जायगा -

क्रम संख्या	सामाजिक कोटि	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में आरक्षण (प्रतिशत में)
1	अनुसूचित जनजाति	35
2	अनुसूचित जाति	16
3	पिछड़ी जाति	15
4	अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई आदि)	09
	कुल	75

ख) बालिकाओं के चयन हेतु चयनित प्रखण्ड की सभी माता समितियों की बैठक आयोजित की जायगी जिसमें उन्हें कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना की जानकारी दी जाएगी और बैठक का उद्देश्य बताया जाएगा ।

ग) माता समिति कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन हेतु बालिकाओं की सूची तैयार कर जिला स्तरीय चयन समिति को उपलब्ध करायेगी जो उपायुक्त, राज्य परियोजना निदेशक के प्रतिनिधि एवं जिला शिक्षा अधीक्षक की होगी । यह समिति सूची अनुमोदन कर संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायेगी एवं एक प्रति परियोजना को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

घ) माता समिति द्वारा अनुशंसित बालिकाओं के माता-पिता से इस आशय का अंडरटेकिंग कि वे स्वेच्छा से अपनी बच्ची को विद्यालय में पढ़ाने के लिए इच्छुक है एवं अपनी बच्ची की पढ़ाई जारी रखने में वे पूरी मदद करेगें एवं उनके द्वारा बच्ची की पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध खड़ा नही किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा ।

च) संबंधित अभिभावकों को पत्र के माध्यम् से चयन की सूचना देते हुए एक सप्ताह के भीतर नामांकन करा लेने का अनुरोध पत्र दिया जाएगा । चयन सूची विद्यालय के सूचना-पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायगी ।

छ) किसी कारणवश यदि स्थान रिक्त रह जाता है तो उपायुक्त द्वारा अनुमोदित पैनल से वरीयता क्रम में नामांकन किया जाएगा ।

10. जिला स्तरीय अनुश्रवण- जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जिला कार्यकारिणी संक्षम प्राधिकार होंगे ।

11. विद्यालयों का निरीक्षण- जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के निरीक्षण के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे ।

12. विद्यालय हेतु स्थायी व्यवस्था

क) एक मॉडल स्कूल के भवन के लिए 50 X 25 मीटर तथा खेल के मैदान के लिए 120 X 60 मीटर का भूखण्ड आवश्यक है और उपर्युक्त माप के अनुसार संबंधित प्रखण्ड में भूखण्ड की व्यवस्था की जायगी । वैसे स्थल जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक-ठाक हो तथा आवागमन की सुविधा से जुड़ा हो को ध्यान में रखकर स्थल का चयन किया जाना चाहिए ।

ख) ऐसे मामले जिनमें सरकारी भूखण्ड नहीं मिल पाता है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि अर्जित कर विद्यालय भवन एवं छात्रावास का निर्माण कराया जायगा ।

13. बैंक खाता का संधारण एवं संचालन- विद्यालय के नाम से निकट के राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता खोला जाएगा । बैंक खाते का संचालन विद्यालय के वार्डेन, एक शिक्षिका (यथा विद्यालय समिति द्वारा चिन्हित) एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

14. क्रय प्रक्रिया- क्रय की स्वीकृति विद्यालय की 'क्रय समिति' द्वारा दी जाएगी जिसमें वार्डेन दो शिक्षिकाओं (यथा विद्यालय समिति द्वारा चिन्हित) एवं एक अभिभावक सदस्य (यथा विद्यालय समिति द्वारा अनुमोदित) के अतिरिक्त वर्ग (8) की मॉनिटर भी सदस्य होगी । दो अन्य सदस्य के रूप में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि तथा प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे । बैठक की अध्यक्षता अभिाववक-सदस्य करेंगे । वार्डेन क्रय-समिति के सदस्य-सचिव होंगे ।

कस्तुरबा गाँधी विद्यालय योजना के अंतर्गत स्वीकृत सामग्री, उपस्कर, उपकरण आदि का क्रय विद्यालय की क्रय समिति द्वारा किया जायगा । सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों के अनुरुप क्रय-प्रक्रिया सुनिश्चित की जायगी ।

15. अन्यान्य-

क) कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं होने पर सम्प्रति किराये पर भवन लिया जा सकेगा ।

ख) कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के अंतर्गत अस्थायी परिसर विकसित करने में जो व्यय होगा वह कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना से लिया जा सकेगा ।

ग) सभी शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कार्यकारियों का विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक होगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के आलोक में वांछित कार्रवाई एक पक्ष के भीतर पूरी की जाय ताकि अगस्त, 2005 के तृतीय सप्ताह में समारोह आयोजित कर विद्यालयों का उद्घाटन किया जा सके ।

कृपया इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अंजनी कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक JEPC/966/ राँची, दिनांक 6.8.05

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के सूचनार्थ;
2. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड के सूचनार्थ प्रेषित;
3. सभी उप-विकास आयुक्त के सूचनार्थ प्रेषित;
4. निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा के सूचनार्थ;
5. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, झारखण्ड के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित;
6. सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित;
7. राज्य परियोजना कार्यालय के सभी प्रभाग-प्रभारी के सूचनार्थ ।

6/8/05

(अंजनी कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक